

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1973/भाद्र 10, 1895
No. 213] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1973/BHADRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st September 1973

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 77/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby fixes for woollen yarn, specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with the duty *ad valorem* under Item No. 18B of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:—

THE TABLE

Serial No.	Description	Tariff value
(1)	(2)	(3)
1	Worsted yarn,—	Rs. per Kg.
	(a) Hand knitting,—	
	(i) grey	39.00
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	78.00

(1)	(2)	(3)
(b) Others,—		
		Rs. per Kg.
(i) of 48s counts and above		64.00
(ii) of above 24s but below 48s counts		52.00
(iii) of 24s counts and below		39.00
2 Woollen yarn, containing not more than 5 per cent. of virgin wool, commonly known as shoddy.		10.00
3 Woollen yarn made from tannery or stripped wool.		12.00
4 All others, not otherwise specified.		16.00

[No. 165/73]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1973

सां० का० नि० 406 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 77/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ख के अधीन मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य ऊनी धागे के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की वस्तुस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)
1 बर्सटेड धागा,—		र० प्रति किलोग्राम
(क) धाग की बुनार्ड का,—		
(i) कोरा		39.00
(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ		78.00

(1)	(2)	(3)
(ख) अन्य,—		र० प्रति किलोग्राम
(i) 48 एस और अधिक काउन्ट का	.	64.00
(ii) 24 एस से अधिक का किन्तु 48 एस से कम काउन्ट का	.	52.00
(iii) 24 एस और कम काउन्ट का	.	39.00
2 ऊनी धागा, जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक ऊन हो, जो सामान्यतया शाड़ी कहलाता है	.	10.00
3 टेनरी या निष्कषित ऊन से बना ऊनी धागा	.	12.00
4 अन्य सभी, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	.	16.00

[सं. 165/73]

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 54/72-Central Excises dated the 17th March, 1972 the Central Government hereby exempts woollen yarn falling under Item No. 18B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof :—

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
1	Worsted yarn	
	(a) Hand knitting—	
	(i) grey	5 per cent <i>ad valorem</i>
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	12.5 per cent <i>ad valorem</i>
	(b) Hair belting yarn	Nil
	(c) Others—	
	(i) of 48s counts and above	21 per cent <i>ad valorem</i>
	(ii) of above 24s counts but below 48s counts	9 per cent <i>ad valorem</i>
	(iii) of 24s counts and below	5 per cent <i>ad valorem</i>
2	Woollen yarn, containing not more than 5 per cent of virgin wool, commonly known as shoddy.	7.5 per cent <i>ad valorem</i>
3	Woollen yarn made from tannery or stripped wool	7.5 per cent <i>ad valorem</i>
4	All others, not otherwise specified.	10 per cent <i>ad valorem</i>

Nothing contained in this notification shall apply to worsted yarn not made from wool tops.

[No. 166/73]

सां० का० नि० 407 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 54/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ख के अन्तर्गत आने वाले ऊनी धागे को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उस सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	वर्सटेड धागा—	
	(क) हाथ की बुनाई का —	
	(i) कोरा	5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ii) प्रसक्त और / या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ	12.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) हेयर बेस्डिंग धागा	कुछ नहीं
	(ग) अन्य—	
	(i) 48 एस और अधिक काउन्ट का	21 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ii) 24 एस से अधिक का किन्तु 48 एस से कम काउन्ट का	9 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(iii) 24 एस और कम काउन्ट का	5 प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	ऊनी धागा, जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक ऊन हो जो सामान्यतया शाडी कहलाता है	7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	टेनरी या निष्कर्षित ऊन से बना ऊनी धागा	7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	अन्य सभी, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	10 प्रतिशत मूल्यानुसार

इस अधिसूचना की को भी बात ऐसे वर्सटेड धागे को, जो ऊन-पूनी से न बना हो, लागू नहीं होगी।

[सं० 166/73]

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 60/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

S.No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		Rs. per Kg.
"3.	Yarn containing partly wool and/or acrylic fibre and partly any other fibre or fibres, provided that the wool and/or acrylic fibre content is more than 50 per cent by weight of such yarn—	
(1)	Worsted Yarn—	
(a)	Hand knitting—	
(i)	grey	2.00
(ii)	processed and/or dyed	10.00
(b)	Hair belting yarn	Nil
(c)	Others—	
(i)	of 40 counts and above	13.50
(ii)	of above 20 counts but below 40 counts	4.50
(iii)	of 20 counts and below	2.00
(2)	Yarn (containing not less than 60 per cent of wool and not more than 5 per cent of virgin wool) commonly known as shoddy.	0.75
(3)	All others	1.60"

[No. 167/73]

सं० का० मि० 408 (प्र).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 60/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में क्रम सं० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3

रु० प्रति किलोग्राम

"3 धागा, जिसमें भागतः ऊन और / या एक्रिलिक फाइबर और भागतः कोई अन्य फाइबर हो या हों, परन्तु यह तब जब कि उसमें ऊन और / या एक्रिलिक फाइबर की मात्रा ऐसे धागे के भार के 50 प्रतिशत से अधिक हो —

(1) वर्मेटेड धागा —

(क) हाथ की बुनाई का—

(i) कोरा 2.00

(1)	(2)	(3)
(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ	.	10.00
(ख) ड्रेपर बेल्डिंग धागा	.	कुछ नहीं
(ग) अन्य—		
(i) 40 काउन्ट और अधिक का	.	13.50
(ii) 20 काउन्ट से अधिक किन्तु 40 काउन्ट से कम का	.	4.50
(iii) 20 काउन्ट और कम का	.	2.00
(2) धागा (जिसमें 60 प्रतिशत से अन्यून ऊन और 5 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक ऊन हो) जो सामान्य-तया शाडी कहलाता है	.	0.75
(3) अन्य सभी	.	1.60" ।

[सं० 167/73]

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 90/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.

[No. 168/73]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

सा० का० मि० 409 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 90/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को विखण्डित करती है।

[सं० 168 / 73]

एस० आर० नारायणन, अव्वर सचिव ।